

छात्र का आश्वासन

1. मैं.....(नामांकन संख्या के साथ ही छात्र का पूरा नाम) सुपुत्र/सुपुत्री श्री/श्रीमती/सुश्री..... जिसे श्री दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चण्डेश्वर, आजमगढ़ में प्रवेश दिया गया है उसने उच्च शैक्षिक संस्थान में 2009 में रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण सम्बन्धी यू.जी.सी.विनियमों की प्रति प्राप्त की है(जो इसके आगे से विनियम कहलायेंगे तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर पूरी तरह से समझ लिया है।
2. मैंने विशेष रूप से इन विनियमों की धारा 3 को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथा मुझे इस बात का संज्ञान है कि रैगिंग में कौन सी बातें सम्मिलित है।
3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 को भी विशेष रूप से पढ़ा है तथा मैं उस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई के विषय में पूरी तरह से सचेत हूँ जो मेरे विरुद्ध लागू की जा सकती है यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देने के लिए दोषी पाया जाता हूँ, अथवा रैगिंग को सक्रिय अथवा छिपे तौर से प्रोत्साहित करने अथवा इस विषय में षडयंत्र करने का दोषी पाया जाता हूँ।
4. मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आश्वासन देता/देती हूँ कि  
(क) मैं ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होऊँगा/होऊँगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अन्तर्गत रैगिंग के रूप में माना जा सकता है।  
(ख) मैं ऐसे किसी आचरण अथवा अनाचरण के काम में न तो भाग लूँगा/लूँगी न ही उसके षडयंत्र में अथवा उसके प्रोत्साहन में शामिल होऊँगा जिस कृत्य को इन विनियमों की धारा 3 के अन्तर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।
5. मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि यदि मैं दोषी पाया जाता हूँ तो इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसार इनसे बिना पूर्वाग्रह के मैं दण्ड के लिए तथा ऐसी दण्डात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हूँ जो कि अन्य किसी अपराधिक मामले के प्रति किसी चालू दण्डात्मक अथवा अन्य किसी कानून के अनुसार मेरे विरुद्ध की जा सकती है।
6. मैं घोषित करता हूँ/करती हूँ कि इस देश के किसी भी संस्थान ने मुझे रैगिंग के षडयंत्र में अथवा इसे प्रोत्साहित करने इसको भड़काने में अथवा इसमें भाग लेने के मामले में दोषी पाने के लिए ना तो निष्कासित किया है न ही प्रवेश से बाधित किया है—और मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि यदि की गई यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे पूरी जानकारी है कि मेरा प्रवेश निरस्त करने का उत्तरदायित्व मुझ पर होगा।
- घोषित किया गया.....दिन.....माह.....वर्ष.....

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम—

पता—

मो0नं0—

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई और ना ही अयर्थाथ कही गई है।

सत्यापित(स्थान).....दिन.....माह.....वर्ष.....

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम—

पता—

मो0नं0—

माता-पिता/अभिभावक द्वारा दी गई प्रतिबद्धता

1. मैं.....(माता-पिता/अभिभावक का पूरा नाम).....(छात्र का नाम उसके नामांकन संख्या सहित) के पिता-माता/अभिभावक, जिसके छात्र को श्री दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चण्डेश्वर, आजमगढ़ में प्रवेश दिया गया है इसने उच्च शैक्षिक, संस्थानों, 2009 में रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण सम्बन्धी यू.जी.सी.विनियमों की प्रति प्राप्त की है(जो इसके आगे से विनियम कहलायेंगे तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर पूरी तरह से समझ लिया है।
2. मैंने विशिष्ट रूप से इन विनियमों का अवलोकन किया है तथा मुझे इस बात की जानकारी है कि रैगिंग में क्या बात शामिल है।
3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 का भी विशेष रूप से अध्ययन किया है तथा मैं पूरी तरह से जागरूक है कि यदि मेरी संतान रैगिंग की अथवा रैगिंग में सहायक होने की सक्रिय अथवा छिपे तौर से दोषी पाया/पायी जाती है अथवा रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का एक हिस्सा होता/होती है तो उस स्थिति में उसके विरुद्ध जिस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्यवाही का वह भागीदार होगा/होगी, वह मेरे संज्ञान में।
4. मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आश्वासन देता/देती हूँ कि—  
(क) मेरी संतान ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होगी जिसे विनियमों की धारा 3 के अन्तर्गत रैगिंग माना गया है।  
(ख) मेरी संतान जान-बुझकर अथवा भूलचूक से ऐसी किसी कृत्य में न तो संलिप्त होगी अथवा न ही उसमें सहायक होगी न ही उसे प्रोत्साहित करेगी जिसे इस विनियमों की धारा 3 के अन्तर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।
5. एतद्द्वारा मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान दोषी पाया जाता है तो वह इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसार दण्ड की भागीदार होगा/होगी जो कि अन्य अपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह के बिना होगा—तथा जो दण्ड मेरी संतान के विरुद्ध किसी भी दण्ड संबंधी कानून के अथवा वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अनुसार देय होगा।
6. एतद्द्वारा मैं यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि यदि मेरी संतान इस देश के विद्यमान किसी भी संस्थान द्वारा रैगिंग की दोषी अथवा षडयंत्र का एक हिस्से के रूप से दोषी होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के दोष के कारण नष्कासित नहीं हुई है/हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।  
घोषित किया गया.....दिन.....माह.....वर्ष.....

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम—  
पता—  
मो0नं0—

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई और ना ही अयर्थाथ कही गई है।  
सत्यापित(स्थान).....दिन.....माह.....वर्ष.....

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम—  
पता—  
मो0नं0—